

शुद्धा विभाग

विज्ञप्ति

क्र. ४३१/इन्दौर ९। १।५६, इन्दौर, दि. ६ जूलाई १९५६
 शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति क्र. २७०१९ एसा५६, दिनांक जूलाई १९५६ जो भारतीय भूमि सम्पादन विधान क्र. ४, के उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई है कि अनुक्रम में श्रीमान् राजप्रमुख विधान की धारा ६ के अधिन यह लुप्ट हो गई है कि परिशिष्ट में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक अधिपत्य के किये आवश्यकता है और विधान की धारा ७ जिला गुना को उक्त भूमि की प्राप्ति के हेतु आज्ञा लेने के किये कि प्रकरण अत्यावश्यक होने के कारण विधान की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन श्रीमान् राजप्रमुख यह कि कि गुना जिले के कलेक्टर को (यद्यपि धारा क्र. ११ के अधीन कोई भी अधिपत्य न किया गया हो) धारा क्र. ९ की उप-धारा (१) की समाप्ति पर यह अधिकार होगा कि यह सार्वजनिक अधिपत्य के लिये परिशिष्ट में उल्लेखित किसी पड़त या कुपि-योग्य भूमि

१९५४ की पत्र न करते हैं कि उक्त अधिन श्री कलेक्टर और प्रधान भरते उल्लेखित सूचना-आधिपत्य में है.

| क्रमांक. | नाम प्राप्त. | परगना व जिला. | भूमि का मालिक. | व्यवस्था | रकबा. | |
|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| १ | गुना | जिला गुना | रामजीलाल पुत्र गुनु बशरह सदर | १, अग्रवाल, गुना, पकन कृपक | २५ २५ २६ | २५।११ ५।।। ।। |
| | | | " | " | ३ | । |
| | | | " | " | ६ | २। |
| | | | " | " | १ | ।।। |
| | | | कपूरसह पुत्र दली सरकारी रेक्ट्रेन्स | राह, शिल, छावनी गुना | १ | ।।। |
| | | | " | " | १ | ।।। |
| | | | प्रजा कार्य विभाग | " | १ | ।।। |

कैफियत.—गुना इण्टर कॉलेज के क्रीडा-स्थल हेतु भूमि की विस्तृत जानकारी व नक्शा श्री कलेक्टर, जिला गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

आज्ञा से,
 हाय, उप-निचव.


वन तथा जनजाति कल्याण विभाग

विज्ञप्ति

मध्यभारत वन विभाग, संवत् २००७, क्र. ७३, सं. २९१० की धारा ४ द्वारा उक्त प्रदेश की जिलों को प्रयोग में आते हुए अंतर्गत के वन तथा जनजाति कल्याण विभाग की विज्ञप्ति क्र. ११०११०-एफ२०३ (५४), दिनांक १ मर्च १९५५ को अधिपत्य रूप से संशोधित करते हुए प्रस्तावित शासन इस विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित करता है कि इसके संलग्न परिशिष्ट में विदिष्ट भूमि को सुरक्षित वन पतन्ति का अधीन विभाग बना है और सार्वजनिक सब-इबीजन के डिप्टी कलेक्टर को ऐसे पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करना है, जो उक्त धारा में उल्लेखित भूमि को सुरक्षा तथा यह और घोषित करता है कि ऊपर उल्लेखित पूर्व विज्ञप्ति के अधीन धारणा की गई जाये और आना ही मे तक स्थिति अवस्था में रहेगी

आज्ञा से,
 ए. सी. मिश्र, सेक्रेटरी

| क्रमांक. | भूतपूर्व स्टेट अपवा जमीन का नाम. | प्रस्तावित सिविल कारिस्ट का नाम. | सिविल इंजीनियर का नाम. | कारिस्ट डिप्टी-कमिश्नर. | कारिस्ट रेंज. | प्रस्तावित रकबा का अनुमान एकड़ों में. | प्रस्तावित रकबा का अनुमान एकड़ों में. | विस्तार. |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | जमींदारी वन | मनुशिया | शाजापुर आगर | गुना | आगर | ३२३०.०० | १९६६.३० | जिला जिला सीके पर १५ फीट थी की साथ. कडा कडा तथा जगह-जगह पत्थर के मिमोर बनवा कर विधा गया है. |
| २ | " | " | " | " | " | " | १९६६.३० | मि. नं. १ से १०७ तक अट लाइन, सराहो ग्राम व जना आमलासोरी, वाटपुर, आ लोरी व सोरको. मि. क्र १०७ से १२६ तक क्रिमाट केवान लाइन, रि का. ००५ समुहत्या, सब-रेंज सराहो, डिप्टी का एडोर् मि. नं. १२६ से २०९ व २०९ से १ तक कड लाईन सरहये प्रायगवाह दे. ०.५ |



| भूतपूर्व स्टेट का नाम. | प्रस्तावित विभाग का नाम. | पारिच्छेद संख्या. | पारिच्छेद संख्या. | प्रस्तावित स्थानों का क्षेत्रफल वर्ग मी. | प्रस्तावित स्थानों की संख्या. | विवरण. |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |

१४ राजग स्टेट ... छोड़ राजग राजग गुना राजग ५४३६ ६१

ग्राम क्षावंतपुरा, सालर, हरीपुरा, गडगच्छ, मोहनपुरा, बरगा, बरखी, अनियामेल्यूर, अनावदा, गोरियाघड़ा, खोकतीया, बांकपुरा, पारलिया, नयापुरा, शिवपुरा, पटारी, पटारिया, रघुनाथपुरा, हरीपुरा, हांवलवे व डोबछा.

मि. नं. १ से १०९ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम बांकागा, देहरा, बल्लपुरा, भाचरपुरा, मेनपुरा, मंनपुरी, जीरापुर, बांवरपुरा, करतपुरा व पिपलपुरा मि. नं. १०९ से ११० तक; नेवज नदी मि. नं. ११० से १५७ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम मूज-खेड़ा, भगरपुरा, बालापुरा, गूजखेड़ी, गिरथीपुरा, धलबहा, डुरपुरा, धछगोड़ा. मि. नं. १५७ से १५८ तक नेवज नदी. मि. नं. १५८ से १९२ तक कट लाइन; सरहदी ग्राम छान, मुरारखेड़ा, व वपुरा. मि. नं. १७८ से १९२ तक. राजस्थान-मध्यभारत सीमा. मि. नं. १९२ से २७३ व २७३ से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम काभाखेड़ी, तलाबला, मयोनिया, बांखापुरा, गिगलोदी, अलवापुरा, उदयपुरा, गनैशपुरा व हिंभोतिया.

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-मंत्र

क्र. ६२४५११-१७७१२२, जयपुर, दिनांक ५ जून १९५६
 स्वास्थ्य विभाग की विज्ञापित क्र. ५५९१११, जयपुर, दिनांक २२ अक्टूबर १९५४, जो शासन गजट, दिनांक ४ नवम्बर १९५४ में प्रकाशित हुई है, की चौथीवाचची पंक्ति में शब्द "डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस"

भारतीय भूमि सम्पादन विधान, सन् १९५४ (प. ४ सन् १९५४) की धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन यह निर्देश करते हैं कि परिशिष्ट में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक आरक्ष्य अर्थात् चिकित्सायुक्त भवन निर्माण के लिये आवश्यक्ता के लिये उप-धारा (४) के अधीन यह निर्देश करते हैं कि विधान की धारा ५-अ के आदेश लागू नहीं होंगे. भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकेगा व अन्य जानकरी प्राप्त हो सकेगी.

| जिला. | परगना. | ग्राम या नंभर. | अनुमानित क्षेत्रफल. | किस आराम | यें आवश्यकता है. |
|-------|--------|----------------|---------------------|----------|------------------|
| रतलाम | रतलाम | रतलाम नंभर | १५,८१८ वर्ग फीट. | चिकित्सा | निर्माण के लिये. |

पुर्व-त्रिपालिया गेट रोड.
 पीथम-गणपति मन्दिर व रामगढ़ रोड.
 उत्तर-मोहनमद हमागजा विच्छेद व उत्तम नारायण का पत्तन.

योग ३१०६९.२१

मध्यभारत के बाद और "की अनुमति से देय होगी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तर्स्थापित किये जाय:-

"अथवा स्वास्थ्य विभाग की सेवा अधिनियम की जो परिच्छेद ३५(१) के तहत अधिनियम द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है।"

